



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270890
CG-DL-E-12032026-270890

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2026/फाल्गुन 21, 1947

No. 171]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2026/PHALGUNA 21, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026

सा.का.नि. 177(अ).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 28 फरवरी, 2025 की अधिसूचना सं सा. का. नि. 157 (अ) के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा लोप की गई बातों को छोड़कर, केंद्र सरकार एतद्वारा, इसके प्रभाव से एक वर्ष की अवधि के लिए एक सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

- | | |
|--|-----------|
| i) माननीय न्यायमूर्ति श्री अनुप जयराम भंभानी | - अध्यक्ष |
| ii) माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश दयाल | - सदस्य |
| iii) माननीय न्यायमूर्ति श्री तेजस कारिया | - सदस्य |

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. यू-11016/01/2023-पीआईटीएनडीपीएस]

किशोर बंद्योपाध्याय, उप सचिव (पीआईटीएनडीपीएस)

[पाद टिप्पणी: दिनांक 28 फरवरी 2025 की अधिसूचना सा. का. नि. 157 (अ) को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में 28.02.2025 को प्रकाशित किया गया था।]

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2026

G.S.R. 177(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), and in supersession of the Notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, GSR 157 (E) dated 28th February, 2025 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes an Advisory Board for a period of one year from the date of its effect, consisting of:-

- | | | |
|--|---|----------|
| i) Hon'ble Mr. Justice Anup Jairam Bhambhani | - | Chairman |
| ii) Hon'ble Mr. Justice Anish Dayal | - | Member |
| iii) Hon'ble Mr. Justice Tejas Karia | - | Member |

2. This notification shall come into force with effect from 23rd March, 2026.

[F. No. U-11016/01/2023-PITNDPS]

KISHOR BANDYOPADHYAY, Dy. Secy. (PITNDPS)

[Footnote: The Notification GSR No. 157(E) dated 28.02.2025 was published in the Gazette Notification Extraordinary, Part II, section 3, Subsection (i) on 28.02.2025.]